रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1971/अग्रहायण 3, 1893
No. 207] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1971/AGRAHAYANA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November 1971

G.S.R. 1783.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st day of December, 1971.

2. In the Passports Rules, 1967,—

(i) in sub-rule (1) of rule 10 for the words "three years", the words "five years" shall be substituted,

(ii) in Schedule V,

(a) for Sl. 1 to 3 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

Sl. No.	*Particulars of application*	*Scale of fees*
"1.	Ordinary Passport with a maximum initial validity of five years.	.. Rs. 25/-"
"2.	Renewal of Ordinary Passport.	.. Rs. 25/- for five years or Rs. 5/- per year or part thereof."
"3.	Issue of a duplicate passport in lieu of the Ordinary Passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged, destroyed or for any other such reason.	.. Rs. 25/-"

(b) for Sl. No. 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"10(i)	Additional endorsement or miscellaneous service on an Ordinary Passport.	.. Rs. 5/- per service.
(ii)	Adding supplementary booklet, when all the pages in an existing Ordinary Passport are used up.	.. Rs. 5/-
(iii)	Additional endorsement or miscellaneous service on an Emergency Certificate or a Certificate of Identity.	.. Rs. 2/-."

[No. VI/401/8/71.]

P. N. MENON, **Secy.**

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर 1971

जी० एस० आर० 1783.—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 1971 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 1 दिसम्बर, 1971 से लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 में, —

(1) नियम 10 के उपनियम (1) में, "तीन वर्ष" के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द लिख दिया जाए ।

(2) अनुसूची पांच में,

(क) क्रम संख्या 1 से 3 तक तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाए, यथा:—

क्रम संख्या	आवेदन पत्र का ब्यौरा	फीस
"1.	पांच वर्ष की अधिकतम प्रारम्भिक वैधता वाला साधारण पासपोर्ट	25·00 रुपये" ।
"2.	साधारण पासपोर्ट का नवीकरण	पांच वर्ष के लिए 25·00 रुपये अथवा प्रति वर्ष या उसके अंश के लिए 5·00 रुपये ।"
"3.	खो जाने पर, चुरा लिए जाने, क्षतिग्रस्त होने, नष्ट होने या ऐसे ही किसी अन्य कारणवश साधारण पासपोर्ट के स्थान पर पासपोर्ट की दूसरी प्रतिलिपि जारी करना ।	25·00 रुपये ।"

(ख) क्रम संख्या 10 तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाए, यथा :—

"10	(1) साधारण पासपोर्ट पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या विविध सेवा	5·00 रु० प्रति सेवा ।
	(2) विद्यमान साधारण पासपोर्ट के सभी पृष्ठ भर जाने पर पूरक पुस्तिका जोड़ने के लिए	5·00 रुपये ।
	(3) आपात प्रमाण - पत्र अथवा पहचान प्रमाण-पत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन अथवा विविध सेवा	2·00 रु० ।"

[संख्या VI/401/8/71]

पी० एन० मेनन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971

IndiaCode